यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

ऋण अनुश्रवण एवं पुनर्संरचना विभाग/ Credit Monitoring & Restructuring Department
केंद्रीय कार्यालय / Central Office, मुंबई/ Mumbai

विनियामक संयम : विनियामक पैकेज : कोविड – 19
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू)

1. भारतीय रिजर्व बैंक का राहत पैकेज या विनियामक पैकेज क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारीद्वारा उत्पन्न व्यवधानोंके कारण ऋण सेवाओं के भार को कम करने एवं व्यावहारिक व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु कुछ विनियामक उपायों (विनियामक / राहत पैकेज) की घोषणा की है. यह माना गया है कि कारोबार / व्यक्तियों के लिए भविष्य में नकदी प्रवाह एवं / या आय क्षति एक अस्थाई व्यवधान हो सकता है, इसलिएइन कारोबारी / व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिएराहत उपायों की घोषणा की गई है.

2. आरबीआई कोविड – 19 विनियामक पैकेज के तहत लाभों को उपलब्ध कराने हेतु कौन सी सुविधाएं पात्र हैं एवं क्या ये सुविधाएं सभी उधारकर्ताओं को प्रदत्त की जाएंगी?

पैकेज के तहत उपलब्ध लाभ लेने हेतु सभी मानक मियादी ऋण (कृषि मियादी ऋण, रिटेल, फसल ऋण एवं एमएसएमई ऋण आदि सहित) एवं नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट पात्र हैं. यह 01 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार मानक आस्ति वाले सभी खातों के लिए उपलब्ध हैं. इसके अलावा, अनावश्यक कागजी कार्रवाई को टालने हेतु सभी उधारकर्ताओं को मियादी ऋण किस्तों (ब्याज सहित) की अदायगीको 90 दिनों तक बढ़ा दी गयी है. हालांकि, उन ग्राहकों को भी विकल्प दिया गया है जो इस राहत का उपयोग नहीं करना चाहते.

भारतीयरिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त राहतों का प्रयोजनउन उधारकर्ताओं पर कोविड-19 द्वारा उत्पन्न व्यवधानों के कारण ऋण सेवाओं के भार को कम करना है जो अपने खातों को नियमित रूप से परिचालित कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 के अस्थाई दबाव के कारण चूक हुई या आगे होगी. तथापि, यदि कोई उधारकर्ता 01 मार्च, 2020 से पहले ही चूक कर रहा है तो, इस तरह की चूक को महामारी के आर्थिक नतीजों के परिणाम के रूप में नहीं लिया जा सकता है. अधिस्थगन लाभ उन उधारकर्ताओं को प्रदान किया जा सकता है जिनका भुगतान 01 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक की अवधि के दौरान देय है. अतः **29 फरवरी, 2020 तक या उससे पहले के अतिदेय भुगतान पर आईआरएसी-2015 के मानदंडलागू होंगे.**

3. क्या भुगतान का पुनर्निर्धारण सभी प्रकार के मियादी ऋणों हेतु लागू है?

मियादी ऋण की अवधि एवं क्षेत्र पर विचार किए बिना यह सभी क्षेत्रों के सभी मियादी ऋणों हेतु लागू है.

4. मियादी ऋणों में, मियादी ऋणोंका पुनर्निर्धारण केवल मूलराशि के लिए है या इसमें ब्याज भी शामिल है?

मूलराशि का पुनर्निर्धारण तीन माह कीअतिरिक्त अवधि के लिए किया जा सकता है जो कि1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के दरम्यान देय है.उदाहरण के लिए, जहांमियादी ऋण की अंतिम किश्त का भुगतान 1 मार्च, 2020 कोदेय है, अतः वह अब 1 जून, 2020 को देय होगा.

उसी प्रकार ईएमआई आधारित मियादी ऋण के लिए, 1 मार्च, 2020 से 31मई, 2020 तक के बीच देय तीन (3) ईएमआई का पुनर्निर्धारण किया जाएगा तथा ऋण की अवधि तीन महीनों के लिए बढ़ा दी जाएगी एवं बढ़ाई गई अवधि में इसकी अदायगी करनी होगी. हालांकि, यह सुस्पष्ट है कि ब्याज राशि तीन महीने बाद के प्रभारित किया जाएगा लेकिन इसमें छूट नहीं दी गयी है.

अन्य मियादी ऋणों के लिए, पुनर्निर्धारण इसी अवधि (01.03.2020से 31.05.2020 तक) के दौरान देय सभी किश्तों एवं ब्याज के लिएहोगाफिर चाहे भुगतान की अवधि मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक, बुलेट पेमेंट इत्यादि ही क्यों नहो. मियादी ऋणों के लिए, जहां अदायगी की शुरूआत नहीं की गई है, वहां तीन महीनों के ब्याज की गणनाकी जानी चाहिए.

5. यदि मियादी ऋण की बढ़ाई गई अवधि, किसी उत्पाद या ऋण नीति में निर्धारित अधिकतम सीमा अवधि से आगे बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या होगा?

चूंकि यह राहत कोविड-19 की महामारी की स्थिति के कारण प्रदान की गई है, अत: सभी स्तरों पर ऐसे सभी मियादी ऋणों के लिए राहत दी गई है और इसे डेविएशन के लिए किसी भी विशेष अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.

6. कार्यशील पूँजी सुविधा पर ब्याज किस ढंग से प्रभारित किया जाएगा?

दिनांक 01.03.2020 से 31.05.2020 तक की अवधि के दरम्यान नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट पर प्रभारित / लागू ब्याज की वसूली को"स्थगित"किया गया है. हांलाकि, संपूर्ण संचित उपचित ब्याज को अधिस्थगन अवधि (अर्थात1जून 2020को) के पूर्ण होने पर वसूल किया जाना है.

7. चूक की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त इस राहत का उधारकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

भुगतान में कोई भी विलंब चूक में परिवर्तित हो जाती है और क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट जाती है. ₹5 करोड़ एवं इससे अधिक के व्यवसायिक ऋणों के लिए बैंक अतिदेय / चूक की स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक के सीआरआईएलसी प्लेटफार्म पर भी रिपोर्ट करते हैं. इस राहत पैकेज के कारण, 1मार्च 2020 के बाद के अतिदेय भुगतान, संबंधी रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो / सीआरआईएलसी को जैसा भी मामला हो, तीन महीनोंतक की राहत अवधि के लिए रिपोर्ट नहीं की जाएगी. बैंक कोकिसी भी प्रकार की दांडिक ब्याज या प्रभारदेय नहीं होगी.

समानतःसेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) को यह अनुमति दी है कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा हुए ऐसे विलंब को चूक न माने यदि यह कोविड-19 के कारण उत्पन्न लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण हुआ है.

8. क्या कारोबारी / व्यक्तियों को अनिवार्यता या लाभ उठाना चाहिए?

उधारकर्ता इस पैकेज के तहत लाभ ले सकते है यदि उनके नकदी प्रवाह में व्यवधान या आय क्षति हुई है. हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋण पर ब्याज, तत्काल देय नहीं है एवं 3 माह तक स्थगित हो जाता है, आपके खाते में जुड़ता जाएगा एवं परिणामस्वरूप उच्च लागत में परिणित हो जाएगा.तदनुसार उधारकर्ता द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में नकदी प्रवाह के सापेक्ष विश्लेषण किया जाना चाहिए.

9. अगर किसी भी बैंक कर्मचारी या उसके कलेक्शन एजेंट ने उधारकर्ता सेअदायगी के लिए संपर्क किया तो क्या उसे परेशान होना चाहिए?

राहत पैकेज के अनुसार, 01.03.2020 से 31.05.2020 की अवधि में पड़ने वाले देय भुगतानों हेतु बैंक कर्मचारी / कलेक्शन एजेंट (कॉल सेंटर) उधारकर्ता से संपर्क नहीं करेंगे. हालांकि यह नोट किया जाएकि यदि दिनांक 01.03.2020 से पहले कोई अतिदेय है, तो उस परभारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान आस्ति एवं दबाव (एसएमए) वर्गीकरण मानदंड लागू होंगे एवं तदनुसारयह राशि उधारकर्ताओं से वसूल की जानी आपेक्षित है. अतः बैंक कर्मचारी या उनके संघटक01.03.2020 से पूर्व की अवधि के अतिदेय भुगतान हेतु उधारकर्ताओं से संपर्ककर सकते हैं.

10. क्या क्रेडिट कार्ड बकाया भी राहत के लिए पात्र है?

यह राहत क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए भी उपलब्ध है. क्रेडिट कार्ड के बकाया के मामले में, सामान्यतः न्यूनतम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो क्रेडिट ब्यूरो को इसकी सूचना दी जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक के इस परिपत्र (विनियामक / राहत पैकेज) के परिप्रेक्ष्य में क्रेडिट कार्ड खाते में अतिदेय राशि संबंधी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को तीन माह की अवधि (राहत अवधि) तक रिपोर्ट नहीं की जाएगी.

हालांकि, बैंक द्वारा, अदत्त राशि पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा. यद्यपि इस अवधि के दौरान कोई दांडिक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा, परंतु उधारकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि पर लागू ब्याज दर आमतौर पर सामान्य बैंक क्रेडिट की तुलना में कहीं अधिक है औरतदनुसार तीन माह के लिए अतिदेयों के आस्थगन हेतुनिर्णय लिया जाना चाहिए.

11. कारोबारी इकाइयों कोकिस प्रकार राहत प्रदत्त किया जा रहा है?

कारोबारी इकाइयां बैंक से अपने नकदी प्रवाह के विघटन या कार्यशील पूंजीगत चक्र के वृद्धि के कारण कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं का पुनः मूल्यांकन के लिए अनुरोध कर सकतेहैं. साथ ही, वे डीपी के आकलन के लिए निधि आधारित कार्यशील पूंजी पर मार्जिन को कम करने का भी अनुरोध कर सकते हैं.बैंक द्वारा इस पर बैंक कीप्रतिपादित पॉलिसी के अनुसारएवं अनुरोध की मौलिकता के आधार परनिर्णय लिया जाएगा.

Credit Monitoring Dept. CO. UNION BANK OF INDIA

12. क्या एनबीएफसी / एमएफआई / एचएफसी "कार्यशील पूंजीगतवित्तीयन की सहजता" के अंतर्गत पात्र हैं?

वर्तमान में, इस विशिष्ट शीर्ष के तहत उन पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनके कारोबार मॉडल की आहरण शक्ति की पुनर्गणना या कार्यशील पूंजीगत चक्र के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है. हालांकि वे राहत मापदंडों के अन्य भाग के लिए पात्र हैं.

चलनिधि के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शुरू किए गए लक्षित दीर्घकालिक वित्तीय परिचालनों अर्थात टीएलटीआरओ के तहत इन वित्तीय मध्यस्थों को पर्याप्त चलनिधि सहायता हेतु प्रावधान किया है. बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन प्राप्य चलनिधि को 27 मार्च 2020 तक इन बॉण्डों में अपने निवेश केबकाया स्तर में निवेश ग्रेड कार्पोरेट बॉण्डों, वाणिज्यिक पत्र एवं गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों में अभिनियोजित किया जाना चाहिए.

बैंकों को उनके पात्र लिखतों की वृद्धिशील होल्डिंग्स का पचास प्रतिशत प्राथमिक बाजार निर्गमन से और शेष पचास प्रतिशत म्यूचुअल फंड और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित द्वितीयक बाजार से जुटाने की आवश्यकता होगी. इस सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग के रुप तथा यहाँ तक की अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक को भी एचटीएम संविभाग में शामिल किया जाना अनुमत है. इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोज़र की गणना लार्ज एक्स्पोसर फ्रेमवर्क के अधीन नहीं की जाएगी. बैंक इस विंडो के अधीन एनबीएफसी/एमएफआई/ एचएफसी इत्यादि का सहयोग कर पायेंगे और हमें इन वित्तीय बिचौलियों के लिए चलनिधि में कमी नहीं दिखायी दे रही है.

13. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के इनसभी उपायों को "पुनर्संरचना" के रुप में माना जाएगा? लागू प्रावधानों के बारे में का क्या करना होगा?

कोविड 19 विनियामक पैकेज पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27मार्च, 2020 केपरिपत्र के अधीन निर्धारित उपायों को "पुनर्संरचना" के रुप में नहीं माना जाएगाऔर इसलिए आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड नहीं होगा. तदनुसार पुर्नगठित खातों हेतु बढ़े हुए प्रावधान लागू नहीं होंगे.

14. एसआई/ईसीएस/एनएसीएच द्वारा वसूल की जा रही किश्तों / ईएमआई का क्या होगा? यदि उधारकर्ता द्वारा ईएमआई के रिफंड की मांग की जाती है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी?

जिन उधारकर्ताओं ने एसआई / एनएसीएच / ईसीएस अधिदेश दिया है वे अधिस्थगन / राहत अवधि दौरान इसे वापस ले सकते हैं. यदि वापस लेने के लिए ऐसे निर्देश नहीं दिए गएहैं तो ऐसे एसआई / ईसीएस / एनएसीएच को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा. इसके अलावा, यदि उधारकर्ता द्वारा ईएमआई / किश्तों का भुगतान कर दिया गया है लेकिन उसने राहत का विकल्प चुना है तो उधारकर्ता द्वारा इसके रिफ़ंड हेतु दावा किया जा सकता है.

------XXXXX------

Credit Monitoring Dept. CO